

24.2.25 वकील वादी द्वारा जो पत्र पेश किया
 जाने पर पत्रावली न्यायहित में पेशी
 में ली गई। वादी ने वाद पत्र पत्र को
 नये दावे की अनुमति के साथ वापस
 लेने की स्वीकृति चाही न्यायहित में
 जो पत्र स्वीकार किया जाता है वाद पत्र
 को इसी स्तर पर खारिज किया जाता
 है वादी नए सिरे से वाद लगाने हेतु
 स्वतंत्र रहेंगे। पत्रावली फैसला शुक्रा
 में 10 वें कम घंटे को दायित्व हटाए।

24.2.25
 10
 10
 10
 10
 10